पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

(पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय)

शिलांग, 23 अप्रैल, 2012

सा.का.नि. 95.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग सहायक सचिव पद वर्ग 'क' भर्ती नियम, 2005, का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग में सहायक सचिव के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमत करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत: :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, सहायक सचिव, वर्ग 'क' पद भर्ती नियम, 2012 कहा जाएगा ।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे ।

3. भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा अर्हता आदि.—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी ।

4. निरर्हता.—जिसने,—

(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों, या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक सचिव	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 3, वेतनमान 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं

साधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती से आने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु एवं अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नतों के लिए दो वर्ष

भर्ती प्रणाली : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	यदि भर्ती प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा । वैसा न हो पाने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा	**पदोन्नति :** अनुभाग अधिकारी जिसने पे बैंड-2, ग्रेड पे 4600 रु. के साथ सात साल की सेवा की हो, या इस अर्हता के न होने पर अनुभाग अधिकारी के पद पर (पे बैंड-2),

(11)

ग्रेड पे 4600 रु. एवं सहायक के पद पर (पे बैंड-2), ग्रेड पे 4200 रु. में अनुभाग अधिकारी के पद पर संयुक्त रूप में दस साल सेवा की हो जिसमें से अंतत: चार साल अनुभाग अधिकारी (पे बैंड-2), ग्रड पे 4600 रु. के ग्रेड में नियमित सेवा होनी चाहिए।

टिप्पणी/नोट : आय एस टी एम से दो हफ्ते का विकास का प्रशिक्षण होना चाहिए।

टिप्पणी 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उंच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पणी 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, वेतनमान 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य में, नियमित आधार पर, उस पद पर, नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और

(iii) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग या विभाग में पे बैंड-2, वेतनमान 9300—34800 रु. तथा 4800 रु. ग्रेड पे सहित या समकक्ष वेतनमान में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड पे में दो वर्ष की सेवा की हो; या

(iv) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग या विभाग में पे बैंड-2, तथा 4600 रु. ग्रेड पे सहित या समकक्ष वेतनमान में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड पे में सात वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों।

(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा से स्नातक डिग्री।

(ii) प्रशासन या स्थापना कार्य में पांच साल का अनुभव।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(11)
टिप्पणी : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए 1-1-2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा अथवा वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे का विस्तार किया गया है, को वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर विस्तारित तदनुरूपी ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा । इसमें एक समान ग्रेड पे या वेतनमान में एक से अधिक संशोधन से पूर्व के वेतनमान का विलय शामिल नहीं है और यह लाभ केवल उन्हीं पदों पर मिलेगा जहां किसी उन्नयन के बगैर ग्रेड पे अथवा वेतनमान को सामान्यत प्रतिस्थापित किया गया है ।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
वर्ग 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे :— 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय —सदस्य 3. पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय में निर्देशक (प्रशासन)/ उप सचिव (प्रशासन) —सदस्य	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा ।

[फा. सं. एनईसी/एडीएम/11/2010]

शान्तनु मित्र, निदेशक (प्रशासन एवं योजना)

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(North Eastern Council Secretariat)

Shillong, the 23rd April, 2012

G.S.R. 95.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Assistant Secretary, Group 'A' post Recruitment Rules, 2005, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Secretary, in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Assistant Secretary (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Secretary	1* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 + Grade Pay of Rs. 6600	Selection	Not applicable

Educational qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment : Whether by direct recruit or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or transfer to be made
(10)	(11)
By promotion, failing which by deputation.	**Promotion :** Section Officer in PB-2, Grade pay of Rs. 4600 with 7 years' of regular service, failing which Section Officer having combined regular service of ten years in Section Officer (PB-2) Grade Pay Rs. 4600 and Assistant (PB-2) Grade Pay Rs. 4200 out of which at least four years of regular service in the grade of Section Officer (PB-2) Grade Pay of Rs. 4600. **Note :** Should have two weeks executive development training from Institute of Secretariat Training and Management. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(11)

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006. The date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation :

Officers under the Central Government or State Government or Union Territories :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in post in the PB-2 Rs. 9300—34800 + grade pay Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in post in the Pay Band-2 Rs. 9300—34800 + grade pay Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre/ department; or

(iv) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in post in the Pay Band-2 + grade pay Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre/ department; and

(b) possessing the following educational qualification and experience :

(i) Bachelor's Degree in any discipline from a recognized University.

(ii) Five years' experience of administration or establishment work.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

Note 2 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post or post(s) for which that grade pay/ pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Secretary, North Eastern Council —Member 3. Director (Administration)/Deputy Secretary (Administration), in North Eastern Council —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F. No. NEC/ADM/11/2010]

S. MITRA, Director (Admn. and Plg.)